यालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला-पाली(राजस्थान)

ीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 74 / 21 GCMS NO 2021 / 399

दायरा तिथि : 16.12.2021

आदेश तिथि : 27-6-2022

प्रार्थी :-

महेन्द्रसिंह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित
निवासी शिवतलाव तहसील बाली

ब नाम

अप्रार्थी :-

माधोसिंह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित
निवासी शिवतलाव तहसील बाली

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत रेकर्डेड नया रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक : 27-6-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन-पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम-68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का, सेवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 743/1 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा में आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से अप्रार्थी माधोसिह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित निवासी सेवतलाव की खातेदारी भूमि ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का, सेवतलाव के खसरा नंबर 741 रकबा 0.2600 हैक्टर किस्म बा.दो. व खसरा नंबर 743/3 रकबा 0.3200 हैक्टर किस्म बा.दो. मेंसे नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम-69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2) Rev.6/ 03/ pt / 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, मुण्डारा ने जांच कर रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/1334 दिनांक 11.05.2022 से प्रस्तुत की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :-

1.ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का, सेवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 743/1 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा की भूमि प्रार्थी महेन्द्रसिंह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित एवं अप्रार्थी माधोसिंह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित के नाम से दर्ज है। खातेदार की धारित भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य विकल्प मौजूद नहीं है। वर्तमान में खातेदार आवागमन हेतु आवेदित भूमि से ही आवागमन करता है।

2 यह कि रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	741	1.13	बा. दो.	100X4.58=458 वर्गमीटर	माधोसिंह पुत्र जसराज हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित राहिन पी.एन.बी. बैक फालना
2	743/3	0.32	बा. दो.	16X4.58=73.28वर्गमीटर	माधोसिंह पुत्र जसराज हिस्सा पूर्ण जाति पुरोहित राहिन पी.एन.बी. बैक फालना

3. यह हैं कि प्रस्तावित भूमि ग्राम शिवतलाव की डी.एल.सी. दर 176054/-रूपये प्रति हैक्टर हैं।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि में मौके पर कोई भी निर्मित संरचना नहीं हैं न ही वृक्ष इत्यादि की क्षति हैं। अतः अन्य कोई भी क्षति नहीं होगी।

प्रकरण में हितबद्ध अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी व्यक्तिशः उपस्थित हुआ। अप्रार्थी ने प्रार्थी द्वारा रास्ते की मांग के विरूद्ध कोई आपत्ति पेश नहीं की है। वकील प्रार्थी ने तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत् सहमति व्यक्त की गई।

पेज लगातार............02

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 74/21 GCMS NO 2021/399
अनवान महेन्द्रसिंह बनाम माधोसिंह
अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण यह स्वीकार्य तथ्य हैं कि आवेदक की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का, सेवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 743/1 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा की भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता वर्तमान में उपलब्ध नहीं होने से तहसीलदार, बाली द्वारा जांच के पश्चात् अपने कार्यालय पत्रांक राजस्व/2022/1334 दिनांक 11.05.2022 से नया रेकर्डेड रास्ता प्रस्तावित किया है। धारा 251(ए) के तहत निकटतम रूट से रास्ता दिये जाने के प्रावधान हैं। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप-6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02.03.2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमॉकःप.3(52) राज-6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि मौजा ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का, सेवतलाव तहसील बाली के खसरा नंबर 743/1 रकबा 0.0400 हैक्टर किस्म गै.मु.बेरा में आवागमन हेतु अप्रार्थी माधोसिह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित निवासी सेवतलाव की खातेदारी भूमि ग्राम सेवतलाव पटवार हल्का, सेवतलाव के खसरा नंबर 741 रकबा 0.2600 हैक्टर किस्म बा.दो. व खसरा नंबर 743/3 रकबा 0.3200 हैक्टर किस्म बा.दो. मेंसे 458+73.28=531.28 वर्गमीटर **रास्ता** नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार व अप्रार्थी को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए **तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश** दिये जाते है।

राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :-

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 176054/- रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
बीजापुर	741 743/3	1.13 0.32	बा.दो. बा.दो.	100X4.58=458 वर्गमीटर 16X4.58=73.28 वर्गमीटर कुल =531.28 वर्गमीटर (0.0531 हैक्टर)	17.6054 रूपये प्रति व.मी	**18706.78**

प्रस्तावित रास्ता में निजी खातेदार की प्रतिकर राशि **18706.78 पुर्णाकं 18707/- (अक्षरे अठारह हजार सात सौ सात रूपये मात्र)** आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर प्रभावित खातेदार को अदा की जावेगी।

तहसीलदार, बाली व निरीक्षक भू0अ0 बाली द्वारा रिपोर्ट के साथ प्रेषित नक्शा को आदेश का भाग माना जावेगा। प्रभावित खातेदार द्वारा प्रतिकर राशि नहीं लिये जाने की दशा में आवेदक द्वारा नियमानुसार राशि तहसील कार्यालय बाली मे जमा कराई जायेगी।

तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति सभी संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, बाली
दिनांक : 28-06-22

क्रमॉक/कोर्ट/2022/2225-29
प्रतिलिपि निम्नांकित को पालनार्थः-

1. तहसीलदार, बाली
2. निरीक्षक भू0अ0 मुण्डारा
3. पटवारी हल्का, सेवतलाव
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. महेन्द्रसिंह पुत्र जसराज जाति राजपुरोहित निवासी शिवतलाव को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner